न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 03/2017 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. खेमराज पुत्र टीपू लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. जगनराम पुत्र नानगराम
2. भरतलाल
3. हंसराज
4. रामचरण — पि. हरफूल
5. मुकेश
6. सतीश
7. दिनेश
8. मु. जगनी देवी पत्नि हरफूल
9. कैलाश प्रसाद पुत्र नानगराम

जाति गुर्जर निवासी ग्राम डिगो ढाणी आंधीशिल की तहसील लालसोट जिला दौसा

10. तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) रा. भू. रा. अधि. विरूद्ध आदेश दिनांक 08.06.1992 जिसके द्वारा आराजी ख.न. 1012/395, 1013/395 व 1014/395 वाकै ग्राम डिगो तहसील लालसोट का आवंटन अवैध किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री कमलेश कुमार सैनी अधिवक्ता प्राथी। उपस्थित।
: श्री सीताराम शर्मा अधिवक्ता अधिवक्ता अप्रार्थी सं.01,2,4 लगा0 9 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांकः 24.7.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी सं. 01, 02 तथा अप्रार्थी सं. 03 लगा0 07 के पिता हरफूल पुत्र नानगराम को ग्राम डिगो तहसील लालसोट में स्थित ख.न. 395 मे से 02 बीघा प्रत्येक को सरासर गलत रूप से आवंटन दिनांक 08.06.1992 को अवैध रूप से कर दिया गया तथा उक्त आवंटन की गई भूमि के रकबे पर आवंटन से पूर्व अथवा आवंटन के पश्चात आवंटियो का कदापि कोई कब्जा काश्त नहीं रहा और न ही वर्तमान में है। आवंटियों को आवंटित की गई भूमि आवंटन से पूर्व न तो कृषि योग्य भूमि थी और न ही आवंटन के पश्चात उसमें आज तक काश्त की गई है। क्यों कि उक्त भूमि मौके पर गहरे ऊबड़ खाबड़ नाले हैं। आवंटी न तो भूमिहीन व्यक्ति थे और न ही उनका मुख्य आजीविका का साधन कृषि रहा था। आवंटन से पूर्व तथा आवंटन के समय किसी प्रकार की कोई आपत्तियां मांगी गई न ही विधिसम्मत तरीके से कार्यवाही की गई। आवंटियों द्वारा चालाकी से प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख0नं0 404 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम डिगो तहसील लालसोट की भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने के उद्देश्य की पूर्ति

अति० जिला कलक्टर
दौसा

हेतु उसके पास वर्तमान में तरमीम करवा ली गई है। अतः प्रत्यर्थी सं01 तथा प्रत्यर्थी सं0 2 लगायत 7 के पिता व प्रत्यर्थी सं0 8 के पति हरफूल पुत्र नानगराम तथा प्रत्यर्थी सं0 9 को ग्राम डिगो तहसील लालसोट में दिनांक 8.6.1992 में जो आवंटन भूमि खसरा नम्बर 1012/395 रकबा 2 बीघा, ख0नं0 1013/395 रकबा 2 बीघा, ख0नं0 1014/395 रकबा 2 बीघा का आवंटन किया गया है को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रश्नगत आवंटित भूमि मौके पर ऊबड़ खाबड गहरे नाले होने एवं आवंटन योग्य भूमि नहीं होने के बावजूद दिनांक 8.6.92 को अप्रार्थी सं01 तथा अप्रार्थी सं0 2 लगायत 7 के पिता व प्रत्यर्थी सं0 8 के पति हरफूल पुत्र नानगराम तथा प्रत्यर्थी सं0 9 को ग्राम डिगो तहसील लालसोट में आवंटित कर दी गई। जबकि आवंटी न तो भूमिहीन थे और न ही उनकी आजीविका का साधन कृषि रहा है। आवंटन के पश्चात आवंटियों को आवंटित जगह पर कब्जा नहीं दिया गया तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 4.7.1992 के अनुसार आवंटियों को भूमि नाप कर दे दी तथा नामांतरकरण सं0 981, 982, 983 दिनांक 5.3.1993 की पुश्त पर तरमीम करने व कब्जा देने का हवाला है तथा तरमीमशुदा नक्शा है फिर पुनः आवंटियों को दूसरी जगह प्रार्थी की भूमि के पास नक्शासीट में तरमीम क्यों करवानी पड़ी। वास्तविकता में आवंटियों को आवंटित जगह गहरे नले हैं जहां आज भी काश्त नहीं हो सकती। आवंटियों द्वारा वर्तमान में प्रार्थी के पूर्व से कब्जेशुदा भूमि को हथियाने का प्रयास करना है। दिनांक 19.10.16 को तरमीम हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। इसके बाद तरमीम की गई जो कि नामांतरकरण की पुस्त पर अंकित नक्शें के विपरीत है आवंटन के समय से भिन्न है। खसरा नम्बर 404 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जो कि वर्तमान में तरमीम की गई भूमि के लगती है। गलत तरमीम से प्रार्थी का रास्ता रूक गया। प्रतिबंधित भूमियों का आवंटन एवं खातेदारी नहीं दी जा सकती है। उक्त स्थल पानी का बहाव क्षेत्र है अतः आवंटन वर्जित है। मौका स्थिति नाले की तरह की है तो भी उसका आवंटन नहीं किया जा सकता। आरबीजे 2011 पेज 703। गलत आवंटन को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। उक्त विधि विरूद्ध आवंटन दिनांक 08.06.1992 को निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निम्नांकित दृष्टांत पेश किये गये –

1. आर.आर.टी.2002(1) पेज 558
2. आर.आर.टी. 2004(2) पेज 1264
3. आर.आर.टी. 2002(1) पेज 89
4. आर.आर.डी. 1979 पेज 223

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1,2, 4 लगा0 9 द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को भूमि आवंटन खसरा नम्बर 395 में से हुआ है जिससे अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 404 है। किस हैसियत से इनके द्वारा आवंटन आदेश को चुनौती दी गई है। पटवारी की रिपोर्ट को बिना आधार गलत बताया है। आवंटित भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। मौके की सूरत नदी नाले के समान होने की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की बाकायदा पालना की गई है। आवंटी के भूमिहीन होने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। आवंटी द्वारा किसी प्रकार का

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथ्य नहीं छिपाया है। खातेदारी अधिकार उद्भूत होने पर 14(4) की कार्यवाही नहीं हो सकती, केवल दावे के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। इतने लम्बे समय बाद 14(4) के तहत आवंटन को चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये –

1. आर.बी.जे. 2009 पेज 201
2. आर.बी.जे. 2008 पेज 435

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1992 को निरस्त करवाने हेतु 24 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र 14(4) प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है। आवंटी को आवंटित भूमि के खातेदरी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। उक्त भूमि आवंटन आदेश से प्रार्थी के हक एवं अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी सं01 तथा अप्रार्थी सं0 2 लगायत 7 के पिता व प्रत्यर्थी सं0 8 के पति हरफूल पुत्र नानगराम तथा अप्रार्थी सं0 9 को ग्राम डिगो तहसील लालसोट में भूमि आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1992 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन रूल्स खारिज किया जाता है। तहसीलदार लालसोट को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे तथा जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट दौसा से प्राप्त मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.7.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official